न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 09/20 दिनांकः—24.12.2020

1. रामोवतार पुत्र गोगाराम
2. संध्या बेवाह गोगाराम समस्त जाति भाट निवासी वार्ड 25 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

...........वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

............प्रतिवादी

दावा बाबत् संशोधन खातेदारी

उपस्थिति अधिवक्ताः— श्री दिनेश नागौरा(वादीगण की ओर से)

—ःनिर्णयः—

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा रामगढ़ शेखावाटी के तन में एक किता काश्त भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 2.67 हैक्टेयर स्थित है, जिसपर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रश्नगत आराजी में खातेदार गोकुल उर्फ गोगाराम के वादीगण विधिक उत्तराधिकारीगण है।

राजस्व अभियान के तहत प्रश्नगत आराजी का खाता वादी संख्या 01 के पिता के नाम दिनांक 26.05.1960 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 339 के जरिये खातेदारी में नाम अंकित हुआ जो नाम अब तक की जमाबंदी में गोकुल चला आ रहा है। लेकिन वादी संख्या 01 के पिता का नाम मूलतः गोगाराम था जो सहवन से गोकुल अंकित हो गया, जिसे वादीगण संशोधित करवाने के अधिकारी है। वादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 2 के पति को बचपन में जरूर गोकुल के नाम से बोलचाल की भाषा में मोहल्लेवासी पुकारते थे लेकिन वादीगण के पिता व पति का नाम गोगाराम ही था ओर उनके सभी सरकारी एवं गैर—सरकारी सभी दस्तावेजात में गोगाराम पुत्र बालमुकुन्द अंकित है इसके अलावा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी गोगारा पुत्र बालमुकुन्द के नाम से जारी हुआ है इस कारण वादीगण उक्त संशोधन करवाने अधिकारी है।

वादीगण के सभी सरकारी एवं गैर—सरकारी दस्तावेजात में भी वादी संख्या के पिता का नाम गोगाराम अंकित है तथा वादी संख्या 02 के पति का नाम गोगाराम व उनके पिता मुकुन्दा उर्फ बालमुकुन्द अर्थात् वादी संख्या 01 के दादा दोनो ही अनपढ़ व गवार व्यक्ति थे जो राजकीय दस्तावेजात के बारे में ज्यादा कुछ नही जाने थे जिस कारण उक्त गलत अंकन राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा है इसलिये विवादित आराजी की खातेदारी में उक्त संशोधन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि कस्बा रामगढ़ शेखावाटी के तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 2.67

हैक्टेयर की खातेदारी में अंकित गोकुल पुत्र मुकुन्दा जरिये संशोधन हजफ किया जाकर गोगाराम पुत्र मुकुन्दा उर्फ बालमुकुन्द अंकित किया जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वादीगण के पिता व पति का सही नाम गोगाराम पुत्र मुकुन्दा ही था। खाते में गोकुल नाम सहवन से दर्ज हो गया है जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात यथा प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी सम्वत 2074—77, प्रदर्श 02 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 03 नकल जमाबंदी सम्वत 2013—16, प्रदर्श 04 नकल जमाबंदी सम्वत 2025—28, प्रदर्श 05 नकल जमाबंदी सम्वत 2029—32, प्रदर्श 06 नकल जमाबंदी सम्वत 2036—40, प्रदर्श 07 नकल नामान्तरकरण संख्या 339, प्रदर्श 08 पानी के बिल की प्रति, प्रदर्श 09 बिजली के बिल की प्रति, प्रदर्श 10 वादी रामोवतार की आधार आई.डी., प्रदर्श 11 वादी रामोवतार की वोटर आई.डी., प्रदर्श 12 वादी संध्या की आधार आई.डी, प्रदर्श 13 वादी संध्या की वोटर आई.डी., प्रदर्श 14 भामाशाह की प्रति, प्रदर्श 15 बैंक पास—बुक की प्रति, प्रदर्श 16 वादी के पिता की आधार आई.डी., प्रदर्श 17 पेंशन पी.पी.ओ. की प्रति, प्रदर्श 18 वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति आदि दस्तावेजात पेश किये गये। वादीगण के स्वयं के शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 01 रामोवतार, पी.डब्ल्यू 02 संध्या तथा दो अन्य स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू 03 रामस्वरूप व पी.डब्ल्यू 04 निरंजनसिंह के शपथ पत्र भी पेश किये गये।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेजात से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है, जिसमें वादीगण के पिता व पति का नाम सहवन से गोकुल दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता व पति का वास्तविक व सही नाम गोगाराम पुत्र मुकुन्दा उर्फ बालमुकुन्द ही है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक रीडर/2020/588 दिनांक 01.12.2020 द्वारा भी यह साबित होता है कि वादीगण का सही नाम गोगाराम ही था, राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण दर्ज करते समय गोकुल सहवन से एवं बोलते नाम से दर्ज कर दिया गया जिसका अब संशोधन किया जाना न्यायोचित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से वादीगण का वाद साबित होता है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 2.67 हैक्टेयर वाके कस्बा रामगढ़ शेखावाटी में दर्ज गोकुल पुत्र मुकुन्दा के स्थान पर गोगाराम पुत्र बालमुकुन्द उर्फ मुकुन्दा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर